

# श्रमिक संघ निबंधन हेतु चेक लिस्ट

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 एवं औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026 (बिहार राजपत्र, 1 जुलाई 2026) के आधार पर

श्रमिक संघ का नाम: \_\_\_\_\_

प्रतिष्ठान/उद्योग: \_\_\_\_\_

आवेदन की तिथि: \_\_\_\_\_

| क्र.                                     | जाँच बिंदु                                                                                                                                      | आधार                             | जाँचा (✓) / टिप्पणी |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>क. आवेदन एवं दस्तावेज़</b>            |                                                                                                                                                 |                                  |                     |
| 1                                        | आवेदन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रपत्र-V में प्राप्त हुआ, घोषणा-पत्र सहित (मैनुअल/डाक से आने पर डिजिटाइज़ कर ऑनलाइन दर्ज)                         | धारा 8(1); नियम 10(1), 12        |                     |
| 2                                        | प्रपत्र-III का शपथ-पत्र संलग्न (नैतिक अधमता में दोषसिद्धि नहीं, नाम अन्यत्र पंजीकृत नहीं, आदि)                                                  | धारा 8(1)(a); नियम 10(1)         |                     |
| 3                                        | संघ की नियमावली की प्रति तथा उसे अपनाने का सदस्यों का संकल्प                                                                                    | धारा 8(1)(b); प्रपत्र-V 5(ख)     |                     |
| 4                                        | आवेदकों को आवेदन हेतु अधिकृत करने का संकल्प (प्रपत्र-V में अधिकार का स्रोत लिखा हो)                                                             | धारा 8(1)(c); प्रपत्र-V 5(ग), 6  |                     |
| 5                                        | महासंघ/केंद्रीय संगठन हो तो प्रत्येक घटक संघ की पृथक बैठक का प्रस्ताव                                                                           | धारा 8(1)(d); प्रपत्र-V 5(घ)     |                     |
| 6                                        | सभी सदस्यों की सूची, आधार की सत्यापित प्रति सहित                                                                                                | प्रपत्र-V 5(ड); शपथ-पत्र क्र. 11 |                     |
| 7                                        | संघ एक वर्ष से पुराना हो तो प्रपत्र-IV में देनदारी एवं पूँजी का विवरण                                                                           | धारा 8(2); नियम 11               |                     |
| 8                                        | निबंधन शुल्क ₹500 जमा (संशोधन के निबंधन हेतु ₹100)                                                                                              | नियम 10(3), 10(4)                |                     |
| 9                                        | प्रपत्र-V में 7 आवेदकों के नाम, व्यवसाय, पता, हस्ताक्षर                                                                                         | धारा 6(1); प्रपत्र-V             |                     |
| <b>ख. सदस्य संख्या</b>                   |                                                                                                                                                 |                                  |                     |
| 10                                       | आवेदन की तिथि को संघ के सदस्य प्रतिष्ठान/उद्योग के कुल श्रमिकों के 10% या 100 (जो कम हो) हों; शपथ-पत्र में कुल कर्मचारी व सदस्य संख्या से मिलान | धारा 6(2); शपथ-पत्र क्र. 7       |                     |
| 11                                       | आवेदन के बाद आवेदक हटे हों तो कुल आवेदकों के आधे से अधिक न हों                                                                                  | धारा 6(3)                        |                     |
| <b>ग. नियमावली में अनिवार्य प्रावधान</b> |                                                                                                                                                 |                                  |                     |
| 12                                       | कार्यकारिणी संहिता के अनुसार गठित है                                                                                                            | धारा 7                           |                     |
| 13                                       | नाम; सभी उद्देश्य; सामान्य निधि के वैध प्रयोजन                                                                                                  | धारा 7(a)-(c)                    |                     |
| 14                                       | सदस्य-सूची का रखरखाव एवं पदाधिकारियों/सदस्यों द्वारा निरीक्षण की सुविधा                                                                         | धारा 7(d)                        |                     |
| 15                                       | सामान्य सदस्यता (शिल्प/श्रेणी से स्वतंत्र) तथा मानद/अस्थायी सदस्यों का प्रावधान                                                                 | धारा 7(e)                        |                     |
| 16                                       | चंदा: ग्रामीण/असंगठित क्षेत्र ₹50 प्रतिवर्ष, अन्य क्षेत्र ₹200 प्रतिवर्ष से कम नहीं                                                             | धारा 7(f); नियम 8                |                     |
| 17                                       | लाभ की शर्तें तथा जुर्माना/ज़बती की शर्तें                                                                                                      | धारा 7(g)                        |                     |

| क्र.                              | जाँच बिंदु                                                                                                                                      | आधार                         | जाँचा (✓) / टिप्पणी |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 18                                | वार्षिक आम सभा और उसके कार्य (पदाधिकारियों का चुनाव सहित)                                                                                       | धारा 7(h)                    |                     |
| 19                                | हर 3 वर्ष में चुनाव; हटाने एवं आकस्मिक रिक्ति भरने की विधि                                                                                      | धारा 7(i)                    |                     |
| 20                                | निधि की सुरक्षित अभिरक्षा; वार्षिक अंकेक्षण (धारा 139 का अंकेक्षक; 250 तक सदस्य हों तो दो सदस्य भी); बही-खाते के निरीक्षण की सुविधा             | धारा 7(j); नियम 9            |                     |
| 21                                | नियम-संशोधन तथा संघ-विघटन की प्रक्रिया                                                                                                          | धारा 7(k), (l)               |                     |
| 22                                | सामान्य निधि का व्यय केवल नियम 18 में सूचीबद्ध मदों पर                                                                                          | धारा 15(1); नियम 18          |                     |
| <b>घ. पदाधिकारी / कार्यकारिणी</b> |                                                                                                                                                 |                              |                     |
| 23                                | कोई पदाधिकारी 18 वर्ष से कम आयु का न हो                                                                                                         | धारा 21(1)(i)                |                     |
| 24                                | नैतिक अधमता में सज़ायाफ़्ता व्यक्ति रिहाई के 5 वर्ष पूरे हुए बिना पदाधिकारी न हो                                                                | धारा 21(1)(ii)               |                     |
| 25                                | मंत्रिपरिषद सदस्य या सरकारी लाभ के पद पर व्यक्ति पदाधिकारी न हो                                                                                 | धारा 21(2)                   |                     |
| 26                                | बाहरी पदाधिकारी कुल के एक-तिहाई या 5 (जो कम हो) से अधिक न हों; असंगठित क्षेत्र में कम से कम आधे पदाधिकारी उसी उद्योग/प्रतिष्ठान में कार्यरत हों | धारा 23                      |                     |
| <b>ड. अन्य जाँच</b>               |                                                                                                                                                 |                              |                     |
| 27                                | नाम किसी पंजीकृत संघ से हूबहू या भ्रामक रूप से मिलता-जुलता न हो; हो तो नाम बदलवाएँ और तब तक निबंधन न करें                                       | धारा 8(4); शपथ-पत्र क्र. 2-3 |                     |
| 28                                | संघ ने सोसाइटी/सहकारी/कंपनी अधिनियम में पंजीकरण न कराया हो (ऐसा पंजीकरण शून्य)                                                                  | धारा 13                      |                     |
| 29                                | संतुष्ट न होने पर और जानकारी माँगे; प्राप्त होने तक निबंधन रोकें                                                                                | धारा 8(3)                    |                     |
| 30                                | आवश्यकता हो तो आधार पहचान से सत्यापन                                                                                                            | नियम 13(3)                   |                     |

श्रम अधीक्षक/ श्रम अधीक्षक ( अधिनियम ) का मंतव्य :

दिनांक: \_\_\_\_\_

श्रम अधीक्षक/ श्रम अधीक्षक ( अधिनियम )  
का हस्ताक्षर एवं मुहर